B. Com (H)
P2 - AICS(H)
Paper - III BRF

प्रो० धनंजय कुमार
सहायक प्राध्यापक
वाणिज्य विभाग
V.S.J. महाविद्यालय
राजनगर, (मधुबनी)

UNIT - II · Lecture Series No - 04

CONDITIONS AND WARRANTIES

शर्तें एवं आश्वासन।

सामान्यतः विक्रय संव्यवहार करते समय विक्रेता अपने माल के संबंध में अनेक कथन करता है. उनमें से कुछ कथन माल की प्रशंसा मात्र की अभिव्यक्ति होती है. माल के संबंध में किए गए प्रशंसात्मक कथन न तो 'शर्त' होते हैं और न ही 'आश्वासन', वे संविदा के अंग नहीं होते, इसलिए उनके आधार पर क्रेता को कानूनी कार्यवाई करने का अधिकार नहीं मिलता. उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण — घोड़े का एक व्यापारी अपने किसी घोड़े को बेचते समय उसकी प्रशंसा में यह कथन करता है कि यह घोड़ा बहुत भाग्यवान है जो व्यक्ति उसे खरीदेगा वह शीघ्र ही लखपति बन जाएगा. व्यापारी का यह कथन प्रशंसात्मक प्रकृति का होने के कारण संविदा का अंग नहीं है तथा बाद में इसके मिथ्या सिद्ध होने पर भी क्रेता को विक्रेता के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाई करने का अधिकार नहीं होगा.

उपर्युक्त उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि ऐसे विक्रय में किसी प्रकार का बंधन उत्पन्न नहीं होता है, जिसे पूरा करने के लिए विक्रेता उत्तरदायी हो. अतः उन बंधनों में से कुछ बंधन विक्रय अनुबंध की मुख्य शर्तों के रूप में, तो कुछ गौण शर्तों के रूप में हो सकते हैं. इस प्रकार विक्रय अनुबंध में जो मुख्य शर्तों के रूप में बंधन होते हैं उन्हें शर्तें (Conditions) तथा जो गौण शर्त रूप में होते हैं उन्हें आश्वासन (Warranties) कहा जाता है.

Scanned with CamSc

A. शर्त (CONDITIONS) :→ Sec. 12(2) के अनुसार – "एक ऐसा अनुबंध जो संविदा के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है और जिसके खंडन पर पीड़ित पक्षकार को संविदा को परित्याग करने का अधिकार मिल जाता है, उसे शर्त कहा जाता है."

B. आश्वासन (WARRANTY) :→ Sec. 12(3) के अनुसार – "एक ऐसा अनुबंध जो संविदा के मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहायक होता है जिसके खंडन पर पीड़ित पक्षकार को केवल हर्जाने के लिए दावा करने का अधिकार मिलता है, संविदा को परित्याग करने का नहीं; उसे आश्वासन कहा जाता है."

शर्त और आश्वासन की उपर्युक्त परिभाषा से अर्थ, अर्थ और विधिक प्रभाव, दोनों स्पष्ट होता है; इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 'शर्त' किसी विक्रय संविदा का मूलाधार होती है जिसके खंडन पर पीड़ित पक्षकार को ऐसी अपूरणीय क्षति होती है जिसके कारण उसे संविदा तक का परित्याग करने का अधिकार मिल जाता है, जबकि 'आश्वासन' का महत्व गौण होता है, तथा इसके खंडन पर पीड़ित पक्षकार को केवल हर्जाना को प्राप्त करने अधिकार प्राप्त होता है।

उपर्युक्त दोनों की परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि शर्त अनुबंध का आधार होता है, जबकि आश्वासन अनुबंध के उद्देश्य में सहायक होता है. कुछ मजबूत आधारों के आधार पर दोनों के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है जो इस प्रकार है ——

Scanned with CamSc

आधार	शर्त	आश्वासन
1. प्रकृति	इसकी प्रकृति अनुबंध के मुख्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक होती है.	जबकि इसकी प्रकृति अनुबंध के मुख्य उद्देश्यों के लिए गौण या सहायक होती है.
2. स्वामित्व का हस्तांतरण	शर्त के पालन किये बिना स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता.	जबकि इसके पालन किये बिना ही स्वामित्व का हस्तांतरण किया जा सकता है.
3. परिणाम	इसके भंग होने की स्थिति में क्रेता अनुबंध को भंग समझ सकता है. तथा विक्रेता से मूल्य प्राप्त कर सकता है.	जबकि इसके भंग होने की स्थिति में क्रेता द्वारा केवल क्षतिपूर्ति की माँग किया जा सकता है.
4. मुक्ति	इसके भंग होने की स्थिति में पीड़ित पक्षकार को अनुबंध के निष्पादन से मुक्ति मिल जाती है.	जबकि इसके भंग होने की स्थिति में पीड़ित पक्षकार को निष्पादन से मुक्ति नहीं मिल सकती है.
5. प्रतिफल पर प्रभाव	शर्त का संविदा में सम्पूर्ण प्रतिफल का प्रभाव पड़ता है.	जबकि इसका संविदा में प्रतिफल के किसी एक ही भाग पर प्रभाव पड़ता है.
6. शर्तभंग एवं आश्वासन भंग	कुछ परिस्थितियों में शर्त भंग को आश्वासन भंग माना जा सकता है.	जबकि आश्वासन भंग को कभी भी शर्त भंग नहीं माना जा सकता है.

Scanned with CamScanner

	आधार	शर्त	आश्वासन
7.	गर्भित की संख्या	इसके अंतर्गत गर्भित आश्वासनों की तुलना में गर्भित शर्तों की संख्या अधिक होती है।	जबकि इसमें गर्भित शर्तों की तुलना में गर्भित आश्वासनों की संख्या कम होती है।
8.	महत्व	यह अनुबंध के अस्तित्व के लिए अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके पूरा न होने पर अनुबंध पूरा हुआ नहीं माना जाता है।	जबकि यह अनुबंध के लिए विशेष महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि इसके पूरा न होने पर भी अनुबंध पूरा हुआ माना जाता है।
9.	उद्देश्य	Sec. 12 (2) के अनुसार - यह एक ऐसा अनुबंध है जो संविदा के प्रमुख उद्देश्य की पूर्ति के लिए अत्यंत आवश्यक होता है।	जबकि Sec. 12 (3) के अनुसार, यह एक ऐसा अनुबंध है जो संविदा के प्रमुख उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहायक होता है।

Scanned with CamSc